



॥ ओ३३ ॥

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI VISHWAVIDYALAYA, HARIDWAR

(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पैन नं०
बैंक खाता सं०
आधार नम्बर (यदि पूर्व में आधार नम्बर की छायाप्रति

जमा नहीं की गयी है तो जीवित प्रमाण पत्र के साथ आधार नम्बर की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।)

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण-पत्र

(पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा प्रतिवर्ष माह नवम्बर में जमा किया जाना अनिवार्य है)

1. जीवित होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/डॉ०/श्रीमती.....
विश्वविद्यालय के पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी हैं। मैंने इन्हें स्वयं देखा है और यह आज की तारीखमें जीवित हैं।

हस्ताक्षर पेंशनर/परिवार पेंशनर..... प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.....
फोन नं०/मोबाईल नं०..... नाम.....
स्थायी पता पदनाम.....
..... फोन नं०/मोबाईल नं०.....
दिनांक..... मुहर.....

2. पुनर्विवाह करने/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र (यह प्रमाण-पत्र केवल परिवार पेंशनर द्वारा दिया जाना है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ/ मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

अथवा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को सूचित करूंगा/करूंगी।

स्थान..... परिवार पेंशनर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....
दिनांक..... परिवार पेंशनर का नाम

नोट:- जो लागू न हों उसे काट दें।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि जहां तक मुझे जानकारी है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।

किसी जिम्मेदार अधिकारी या प्रसिद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

स्थान..... नाम.....
दिनांक..... पदनाम

3. नौकरी न करने/पुनर्नियोजन का प्रमाण-पत्र

(अ) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं मई/नवम्बर..... को समाप्त हुई अर्द्ध-वार्षिकी के दौरान किसी सरकारी विभाग/कार्यालय केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय विधि की कम्पनी निगम, स्वायत्त निकाय अथवा समिति में किसी पद पर कार्य नहीं कर रहा/रही हूँ ।

अथवा

मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने कार्यालय में नियोजित/पुनर्नियोजन हुआ/हुई हूँ जो कि सरकार का एक भाग है । सरकार द्वारा वित्त घोषित है और मई/नवम्बर की समाप्त हुई अर्द्ध-वार्षिकी में अथवा उक्त अर्द्ध-वार्षिकी के दौरान आने वाले महीनों के दौरान निम्नलिखित मासिक दरों पर परिलब्धियां प्राप्त की है ।

(क) वेतन विशेष वेतन भत्ते
(मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता आदि सहित)

अथवा

(ख) मानदेय

इसके अलावा मेरे पुनर्नियोजन के आदेशों में/नियोजन की अवधि के दौरान मेरी पेंशन को स्थापन के अधीन रखे जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध हैं ।

(ब) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने भारत में कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं किया है ।

अथवा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पुर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् भारत में वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार किया है और विश्वविद्यालय द्वारा इसके साथ लगाई किसी भी शर्तें यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं किया है ।

टिप्पणी:- यह घोषणा सेवा-निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए की जानी होती है ।

(स) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, का कोई नियोजन स्वीकार नहीं किया है ।

अथवा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की पुर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् भारत के बाहर किसी सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, का नियोजन किया है और सरकार द्वारा इसके साथ लगाई गई किसी शर्त का विवलन नहीं किया है ।

स्थान :.....

हस्ताक्षर

दिनांक :.....

पेंशनर का नाम.....

वर्तमान पता-

.....

मोबाइल नंC

ई-मेल आईडीO

(ब) और (स) पर दिये गये प्रमाण-पत्र केवल सेवा निवृत्त ग्रुप 'ए' के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे ।